

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा


क्रमांक:—स्था.(रा.न्या.से.)/सं.प.अ./ २३५ /2024 दिनांक 11.09.2024

श्रीमती संध्या पूनिया (RJ01179), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा (झुंझुनू) को दिनांक 17.09.2024 से 23.09.2024 तक 07 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 13.09.2024 से 16.09.2024 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है।

श्रीमती पूनिया की अनुपस्थिति में सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी (झुंझुनू) इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल करेंगे।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा (झुंझुनू) के पद पर ही होने की संभावना है।

आज्ञा से


10.9.24
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक:—स्था.बी.2(4)/44/2017/ 7159

दिनांक : 11.09.2024

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, झुंझुनू को उनके पत्रांक 9591 दिनांक 31.08.2024 के सन्दर्भ में।
3. श्रीमती संध्या पूनिया (RJ01179), सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा (झुंझुनू)।
4. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, चिड़ावा (झुंझुनू)।
5. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट, पिलानी (झुंझुनू)।


10/9/2024
सहायक रजिस्ट्रार